न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

जगत अहीर .... बनाम .... लीला देवी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं०–एम.....71...../2017 धारा–107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी .....बुण्डू..... के अप्राथमिकी सं०–16/18. दिनांक–10-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता नं० 1126 प्लोट नं० 222 रकबा 1½ डी० जमीन को लेकर उभय पक्ष में विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 22-06-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। (ह० ../6/18)	
22-06-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01, 02, 03 उपस्थित क्रमांक 04 अनुपस्थित। दिनांक 02-07-18 को रखें। (ह०) 22/6/18	

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

17-12-18 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता द्वारा गवाही हेतु अगली तिथि की मांग की गयी। दिनांक 11-01-19 को रखें।

(हस्ताक्षर) 17/12/18

11-01-19 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित। उक्त वाद में 6 (छ!) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।

(हस्ताक्षर) 11/01/19

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.24 15:52:11 +05:30
Location: 10.93.79.5